भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2644

दिनांक 17 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

एनएलएमसी द्वारा सीपीएसई को सहायता

2644. **श्री बसवराज बोम्मई:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम लिमिटेड (एनएलएमसी) एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य कर रहा है तथा अन्य सरकारी संस्थाओं और सीपीएसई को सहायता प्रदान कर रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) एनएलएमसी द्वारा अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

एनएलएमसी ने सूचित किया है कि:

(क) से (ग)**:** राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) को भारत सरकार की 100% स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में, सीपीएसई के साथ-साथ अन्य सरकारी एजेंसियों की गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन दिनांक 03.06.2022 को निगमित किया गया है।

तदनुसार, आईटीआई लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के साथ समझौता ज्ञापन करके एनएलएमसी परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रही है ताकि उनकी 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की उनकी गैर-प्रमुख अधिशेष भूमि और भवन परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किया जा सके।

अब तक, एनएलएमसी ने परामर्शी सेवा प्रदान की है और 242.88 करोड़ रुपए के संचयी लेन-देन मूल्य से विशाखापत्तनम में आरआईएनएल संपत्ति की चरण-I ई-नीलामी और 226 करोड़ रुपए के संचयी लेन-देन मूल्य के साथ विभूति खंड, लखनऊ में बीएसएनएल भू-खंड की ई-नीलामी सफलतापूर्वक पूरी की है।

*****